आवेदक/आरोपी भियोग में है।

PA/26701/2021
PP090103 W251 2021

(1)

जमानत आवेदन क./ 4019 /2021

प्रस्तुती दिनांक– 01 .08.2021

न्यायालय : श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, इदौर के समक्ष

संतोष वर्मा पिता श्री रूमाल सिंह वर्मा
उम्र – 51 साल, धंधा – नौकरी
निवासी– 15 बी. श्री मंगल नगर, बिचौली हप्सी,
बंगाली चौराहा, इंदौर (म0 प्र0) ....आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

राज्य द्वारा पु. एम.जी.रोड थाना, इंदौर ....अनावेदक/अभियोगी

अपराध कमांक–155/2021

अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 472, 120, बी. भा.द.वि.

प्रथम जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

माननीय महोदय,

आवेदक/आरोपी तर्फे सादर निवेदन है कि :–

1. यह कि, मिली माहिती के अनुसार आवेदक/आरोपी की ओर से जमानत का यह **प्रथम आवेदन पत्र** होकर इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र इस प्रावधान के तहत पूर्व में ना तो किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ,इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया है ना विचाराधीन है और ना ही निराकृत हुआ है।

2. यह कि, श्री विजेंन्द्र सिंह रावत प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, इंदौर द्वारा एक अपराध कमांक 155/2021 अज्ञात के नाम से अनावेदक पुलिस थाने में पंजीबद्ध करवाया था उक्त अपराध में अभियोगी द्वारा सूचना पत्र जारी कर व आवेदक/आरोपी को कथन देने हेतु सी.एस.पी. आफिस सेंट्रल कोतवाली, पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था। अभियोगी के सूचना पत्र पर आवेदक/आरोपी उक्त दिनांक व समय पर अभियोगी के समक्ष उपस्थित हुआ था। अभियोगी द्वारा पूछताछ के बाद रात्रि में आवेदक/आरोपी को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया था। आवेदक/आरोपी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था, इसलिए वह अभियोगी के सूचना पत्र पर बिना किसी टालमटोल के उपस्थित हुआ था। इसलिए भी आवेदक/आरोपी के उक्त अपराध में भाग जाने की संभावना नहीं है। इसलिए भी उसे जमानत का लाभ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

–2

जमानत आवेदन क. 4019/2021

पुनःश्च–02.09.2021 समय 03:55 बजे

अभियुक्ता संतोष वर्मा का प्रथम नियमित जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर के आदेशानुसार केस डायरी व जमानत प्रतिवेदन सहित अवलोकन पर प्राप्त।

अभियुक्ता संतोष वर्मा द्वारा श्री एन.के. जैन एवं श्री कपिल शुक्ला विद्वान अभिभाषकगण उपस्थित।

अभियोजन द्वारा श्री संजय शर्मा विद्वान ए.जी.पी. उपस्थित।

आपत्तिकर्ता हर्षिता वर्मा उपस्थित।

केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आपत्तिकर्ता द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई। नकल अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषकगण को दी गई।

अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषकगणों ने व्यक्त किया कि अभियुक्ता संतोष वर्मा का प्रथम नियमित जमानत आवेदन थाना एम.जी. रोड इन्दौर में पंजीबद्ध हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 155/2021 से संबंधित है तथा कथित अपराध से संबंधित घटना के संबंध में इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर के आदेशानुसार डिस्कीट जांच की जा रही है जिस कारण हस्तगत जमानत आवेदन इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाना उचित नहीं है जो अन्य किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से यह व्यक्त किया गया कि इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 155/2021 थाना एम.जी.रोड इन्दौर के संबंध में कोई जांच नहीं की है जिस कारण हस्तगत जमानत आवेदन का निराकरण इस न्यायालय द्वारा विधि अनुसार किया जा सकता है।

सुना। विचार किया। केस डायरी का प्रथम दृष्टया अवलोकन किया।

चूंकि अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषकगणों ने हस्तगत प्रकरण से ही संबंधित कथित घटना की डिस्कीट जांच माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर के आदेशानुसार इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाना बताते हुए इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को उपरोक्त कथनों के आधार पर चुनौती दी है इस कारण इस संबंध में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर से मार्गदर्शन चाहा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में हस्तगत जमानत आवेदन केस डायरी, जमानत प्रतिवेदन एवं आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति सहित माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर से मार्गदर्शन की प्राप्ति हेतु सादर प्रेषित हो।

(विकास शर्मा)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश
इन्दौर म.प्र.

(विकास शर्मा)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

आदेश पत्रिका–निरंतर

जमानत आवेदन कमांक 4019/2021

02.09.2021 पुनश्च्यः

श्री विकास शर्मा, चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय से यह जमानत आवेदन मय केस डायरी मार्गदर्शन हेतु वापस प्राप्त हुआ।

अवलोकन किया।

न्यायिक कार्य में मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से कार्य करे।

पक्षकारगण उक्त न्यायालय में उपस्थित रहे।

जमानत आवेदन मय केस डायरी उक्त न्यायालय में प्रेषित होवे।

(दिनेश कुमार पालीवाल)
सत्र न्यायाधीश, इंदौर

पुनश्चः– 05:15 बजे

अभियुक्त द्वारा श्री कपिल शुक्ला विद्वान अभिभाषक उपस्थित।

अभियोजन द्वारा श्री विमल मिश्रा विद्वान जी.पी. सहित श्री संजय शर्मा, विद्वान ए.जी.पी. उपस्थित।

आपत्तिकर्ता हर्षिता वर्मा उपस्थित।

अभियुक्त संतोष वर्मा का प्रथम नियमित जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के आदेशानुसार पुनः प्राप्त। अवलोकन किया। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर ने यह उल्लेख किया है कि "न्यायिक कार्य में मार्गदर्शन नही दिया जा सकता है तथा पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से कार्य करे तथा पक्षकारगण उक्त न्यायालय में उपस्थित रहे।"

इस स्तर पर अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने व्यक्त किया कि अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता चले गये है जिस कारण प्रकरण कल पर रखा जाए। अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक श्री कपिल शुक्ला ने इस संबंध में आदेश पत्रिका पर लेख अंकित कर हस्ताक्षरित करते हुए साय 05:15 बजे का समय भी अंकित किया।

अभियोजन व आपत्तिकर्ता को अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा किये गये उपरोक्त अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है जिस संबंध में विद्वान ए.जी.पी. एवं आपत्तिकर्ता द्वारा आदेश पत्रिका पर लेख अंकित करते हुए हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालयीन समय समाप्त हो चुका है एवं अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा किये गये उपरोक्त अनुरोध पर आपत्तिकर्ता एवं विद्वान ए.जी.पी. ने अनापत्ति प्रकट की है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में केस डायरी वापस भेजी जाकर कल के लिए पुनः तलब हो।

(विकास शर्मा)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर

इस स्तर पर उभयपक्षों ने हस्तगत जमानत आवेदन पर कल लंच समय उपरांत ही सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

अतः उभयपक्षों व आपत्तिकर्ता के अनुरोध पर जमानत आवेदन कल दिनांक 03.09.2021 को लंच समय उपरांत आगामी उचित कार्यवाही हेतु पेश हो।

(विकास शर्मा) 02/09/21
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म.प्र.)

03.09.2021

आवेदक/अभियुक्त संतोष वर्मा द्वारा श्री एन.के. जैन एवं श्री कपिल शुक्ला, विद्वान अभिभाषकगण उपस्थित।

अभियोजन द्वारा श्री विमल मिश्रा विद्वान जी.पी. सहित श्री संजय शर्मा, विद्वान ए.जी.पी. उपस्थित।

आपत्तिकर्ता हर्षिता वर्मा उपस्थित।

केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया।

भारत सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जमानत आवेदन पर सुनवायी की जा रही है।

अभियुक्त संतोष वर्मा के जमानत आवेदन पत्र के साथ **स्वपनिल वर्मा** का शपथ पत्र संलग्न है जिसमें शपथकर्ता ने अभियुक्त को अपना **पिता** बताते हुए यह कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 439 के अंतर्गत प्रथम जमानत आवेदन पत्र होकर इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र इस प्रावधान के तहत पूर्व में ना तो किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है ना ही विचाराधीन है और ना ही निराकृत हुआ है।

इस न्यायालय में पदस्थ निष्पादन लिपिक श्री महेश दावदे द्वारा दिनांक 02.09.2021 को जमानत आवेदन पर इस आशय की टीप अंकित की गई है कि सी.आई.एस. में अपराध कमांक 155/2021 थाना एम.जी. रोड इन्दौर अंकित कर सर्च किये जाने पर बी.ए. नंबर 4019/2021 संतोष वर्मा विरूद्ध थाना एम.जी. रोड, इन्दौर दर्शित हुआ जो कि आवेदक/अभियुक्त संतोष वर्मा का धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत प्रथम नियमित जमानत आवेदन है इस संबंध में स्वपनिल वर्मा ने आवेदक/अभियुक्त को अपना पिता बताते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर समय 03:45

(विकास शर्मा) 03/09/21
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर

पी.एम. बजे अपराध कमांक 155/2021 थाना एम.जी. रोड इन्दौर अंकित कर सर्च किये जाने पर **नो रिकार्ड फाउंड** होना दर्शित हुआ।

यहाँ सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि हस्तगत जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के आदेशानुसार दिनांक 02.09.2021 को विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ तथा दिनांक 02.09.2021 उभयपक्ष उपरोक्तानुसार उपस्थित रहे एवं अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया कि हस्तगत कथित अपराध से संबंधित घटना के संबंध में इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के आदेशानुसार डिस्कीट जॉच की जा रही है जिस कारण हस्तगत जमानत आवेदन इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाना उचित नहीं है जो अन्य किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाना चाहिए। अभियुक्त की ओर से उपरोक्तानुसार व्यक्त किये जाने पर इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.09.2021 में यह उल्लेख किया कि *"चूँकि अभियुक्त के विद्वान अभिभाषकगणों ने हस्तगत प्रकरण से ही संबंधित कथित घटना की डिस्कीट जॉच माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के आदेशानुसार इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाना बताते हुए इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को उपरोक्त कथनों के आधार पर चुनौती दी है इस कारण इस संबंध में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर से मार्गदर्शन चाहा जाना उचित प्रतीत होता है।"* इस प्रकार हस्तगत जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर की ओर केस डायरी, जमानत प्रतिवेदन व आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति सहित माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर से मार्गदर्शन की प्राप्ति हेतु दिनांक 02.09.2021 को सादर प्रेषित किया गया तथा दिनांक 02.09.2021 को ही माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के **निम्नलिखित आदेश सहित** हस्तगत जमानत आवेदन उपरोक्त समस्त दस्तावेजों सहित साय 05:15 बजे इसी न्यायालय में वापस प्राप्त हुआ :–

"श्री विकास शर्मा, चौहदवे अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय से यह जमानत आवेदन मय केस डायरी मार्गदर्शन हेतु वापस प्राप्त हुआ। **अवलोकन किया**। *न्यायिक कार्य में मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से कार्य करे। पक्षकारगण उक्त न्यायालय में उपस्थित रहे।* ***जमानत आवेदन मय केस डायरी उक्त न्यायालय में प्रेषित होवे।***"

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.09.2021 को ही उभयपक्ष इस न्यायालय के समक्ष साय 05:15 बजे उपस्थित हुए तथा आदेश पत्रिका दिनांक 02.09.2021 पर विशिष्ट उल्लेख करते हुए प्रकरण कल लंच समय उपरांत सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया तथा इस संबंध में उभयपक्षों द्वारा आदेश पत्रिका पर लेख अंकित करते हुए हस्ताक्षर भी किये गये।

हस्तगत जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर के आदेशानुसार अंतरण पर प्राप्त हुआ है तथा अभियुक्त की ओर से उपरोक्तानुसार

(विकास शर्मा)
चौदहवे अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर

आपत्ति लिये जाने के उपरांत **इस न्यायालय ने समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर से उपरोक्तानुसार मार्गदर्शन चाहा है** एवं इसके उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर ने **''अवलोकन उपरांत''** हस्तगत जमानत आवेदन **इसी न्यायालय में पुनः प्रेषित** करते हुए उभयपक्षों को इसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। ''माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय'' द्वारा ''प्रशासनिक व न्यायिक दृष्टि'' से हस्तगत जमानत आवेदन इस न्यायालय में अंतरण किये जाने के कारण पुनः प्राप्त हुए हस्तगत जमानत आवेदन का निराकरण **''न्यायिक अनुशासन''** के आधार पर किया जाना **इस न्यायालय का ''न्यायिक दायित्व'' है।** इसके अतिरिक्त उभयपक्ष भी दिनांक 02.09.2021 को इस न्यायालय में पुनः उपस्थित रहे हैं व उभयपक्षों ने जमानत प्रकरण उपरोक्तानुसार आज सुनवाई में लिये जाने का निवेदन करते हुए इस संबंध में आदेश पत्रिका पर लेख अंकित कर हस्ताक्षरित किया है जिससे यह प्रकट होता है कि उभयपक्ष भी इसी न्यायालय द्वारा हस्तगत जमानत आवेदन का विधि अनुसार निराकरण किये जाने में सहमत हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण से संबंधित ''प्रथम सूचना रिपोर्ट की'' कोई ''जॉच'' इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं रही है तथा ना ही आवेदक/अभियुक्त संतोष वर्मा ''प्रशासनिक रूप से'' इस न्यायालय के अधीनस्थ होकर कार्यरत है एवं मैं स्वयं भी कथित घटना के बाद प्रतिलिपि अनुविभाग का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया हूं। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से यह न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के निर्देशानुसार अंतरण पर प्राप्त व उपरोक्तानुसार पुनः प्राप्त हुए हस्तगत जमानत आवेदन का विधिवत निराकरण व **''न्यायिक दायित्व''** का निर्वहन करने हेतु अग्रसर होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत **सुंदीप कुमार बाफना विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य आपराधिक अपील कमांक 689/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2014** के आलोक में इस जमानत आवेदन का विधिवत् निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर द्वारा एक अपराध कमांक 155/2021 अज्ञात नाम से पुलिस थाने में पंजीबद्ध करवाया था तथा उक्त अपराध में अभियोगी द्वारा सूचना पत्र जारी कर व आवेदक/अभियुक्त को कथन देने हेतु सी.एस.पी. आफिस सैन्ट्रल कोतवाली पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था तो अभियोगी के सूचना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त उक्त दिनांक व समय पर अभियोगी के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अभियोगी द्वारा पूछताछ के बाद रात्रि में आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया था। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था

(विकास शर्मा)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

इसलिए व अभियोगी के सूचना पत्र पर बिना किसी टालमटोल के उपस्थित हुआ था। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त को इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है कि दिनांक 06.10.2020 को पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति जी.ए.डी. (सामान्य प्रशासन विभाग) म.प्र. के समक्ष प्रस्तुत की तथा जी.ए.डी. म.प्र. के द्वारा उक्त निर्णय पर नियमानुसार अभिमत शासन से प्राप्त कर आवेदक/अभियुक्त को आई.ए.एस. अवार्ड प्रदान किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त को निर्णय से लाभ प्राप्त करने वाला लाभार्थी होना बताया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त पर उक्त आरोप के अतिरिक्त अन्य कोई आरोप नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि आपत्तिकर्ता हर्षिता अग्रवाल द्वारा न्यायालय से प्राप्त कर प्रदान की गई तथा दिनांक 07.10.2020 को नकल आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई जावक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति ए–1 व नकल विभाग द्वारा प्रमाणित प्रति भी श्री विजेन्द्र सिंह रावत, जे.एम.एफ.सी. इन्दौर द्वारा पारित निर्णय की प्रदान की गई जिससे भी स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि जिस नकल आवेदन पर से नकल विभाग द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की गई वह नकल आवेदन नियत समय सीमा के पूर्व ही नष्ट कर दिया गया जिस संबंध में विभाग से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई म.प्र. व्यवहार नियम 1981 के नियम 497 एवं म.प्र. नियम तथा आदेश (आपराधिक) नियम 656 के अनुसार 9 माह की अवधि पूर्ण होने पर नष्ट किया जाना प्रस्तावित है की प्रोसीडिंग की प्रति संलग्न ए–2 है जिससे यह स्पष्ट है कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत, जे.एम.एफ.सी. इन्दौर द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया था जिसकी प्रति नकल विभाग द्वारा प्रमाणित कर प्रदान की गई थी। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत जे.एम.एफ.सी. इन्दौर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लेख कराया गया है कि दिनांक 06.10.2020 को श्री विजेन्द्र सिंह रावत न्यायालय में उपस्थित नहीं थे जबकि वे न्यायालय में आये थे जिस संबंध में श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा वरिष्ठों को प्रेषित आकस्मिक अवकाश का आवेदन ए–3 भी प्रमाण है जो कि दिनांक 06.10.2020 को ही प्रस्तुत किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा लिखा है कि वह अपनी पत्नी का सी.टी. स्कैन कराने गये थे अर्थात इन्दौर में ही थे तथा यह कार्य कुछ घंटे का है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अनावेदक/अभियोगी द्वारा श्री अकरम शेख, लोक अभियोजक, इन्दौर से भी पूछताछ की गई व उनके द्वारा

(विकास शर्मा)
चौथे अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

प्रस्तुत निर्णय नकल विभाग द्वारा प्रदान की गई निर्णय की प्रमाणित प्रति से भिन्न है तथा श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी श्री अकरम शेख, उपसंचालक, के संबंध में उल्लेख करते हुए राजीनामे का कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने का उल्लेख किया है तथा अनावेदक अकरम शेख द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का निर्णय फरियादी के कथन व वाट्सअप चैटिंग तथा रिकार्डिंग के आधार पर अकरम शेख को प्रकरण में आरोपी नहीं बनाया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण भी उन्हीं के समान है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त को विधिवत नकल विभाग द्वारा प्रमाणित प्रति आपत्तिकर्ता हर्षिता अग्रवाल द्वारा निकाल कर प्रदान की गई तथा नकल विभाग के प्रमुख द्वारा भी उक्त प्रमाणित प्रति को प्रमाणित करना, नकल आवेदन का आना व नकल आवेदन न्यायालय में प्रेषित करने का उल्लेख किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि अकरम शेख, लोक अभियोजक इन्दौर द्वारा पेपर में प्रकाशित हुई खबरों के अनुसार यह भी बताया गया कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत अनावेदक के प्रकरण में विधिक राय (अभिमत) प्रदान करने के संबंध में काफी उतावले थे और श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा वाट्सअप पर कई बार श्री अकरम शेख, लोक अभियोजक से विधि राय के संबंध में पूछा गया (सर एनी अपडेट?) (प्लीज टेल मी) तथा श्री अकरम शेख, लोक अभियोजक द्वारा जब अभिमत शासन को भेजा गया तब उसकी एक प्रति पी.डी.एफ. वाट्सअप के द्वारा श्री विजेन्द्र सिंह रावत को भी प्रेषित की गई जिसे श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा एक ही इमोजी का चिन्ह तीन बार एक साथ भेजा जिसका अर्थ समान्य ज्ञान से बढिया होता है तो इससे भी स्पष्ट है कि श्री रावत को 15 अक्टूबर 2020 को भी जानकारी थी कि उनके द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिससे भी निर्णय के फर्जी कूट रचित होने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है इसलिए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा निर्णय की नकल प्राप्त कर विभाग में प्रस्तुत की गई तब पुलिस विभाग द्वारा अभिमत हेतु उप संचालक, लोक अभियोजक अकरम शेख से अभिमत प्राप्त कर अभिमत शासन को प्रेषित किया गया यदि न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया था तो लोक अभियोजक अकरम शेख द्वारा दिनांक 06.10.2020 के निर्णय को स्कैन किस प्रकार लिया गया किंतु अनावेदक द्वारा उक्त स्कैन किये गये निर्णय को मान्य किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त से प्राप्त हुई निर्णय की प्रमाणित प्रति जो नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत होने पर न्यायालय से फाईल नकल विभाग में आने पर विधिवत् प्रमाणित कर दी गई जिसे नकल विभाग के प्रमुख द्वारा भी नियमानुसार प्रदान किया जाना बताया जा रहा है तब आवेदक/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में निरूद्ध रखने का कोई विधिक कारण नहीं है।

(विकास शर्मा)
चौथे अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि लोक अभियोजक अकरम शेख व श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गई चर्चा की रिकार्डिंग में भी दोषमुक्ति की रिपोर्ट देने की बात आई है और श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा 3 हजार प्रकरण सी.आई.एस. में से गायब बताये गये है और निर्णय के संबंध में निश्चित रहने की बात कही गई है तब इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा ही दो निर्णयों का निर्माण कर तथा नकल विभाग से निर्णय की प्रमाणित प्रति फाईल में संलग्न कर भेज कर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदान कराकर उक्त अपराध में आवेदक/अभियुक्त को संलिप्त करने का कृत्य किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि जब पीठासीन अधिकारी उक्त मामले में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अभिमत के बारे में पूछ रहे थे, वाट्सअप कर रहे थे तब यह कैसे संभव है कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत को प्रकरण में पारित निर्णय की जानकारी ना हो जिससे भी स्पष्ट है कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में झूठे आरोप लगाकर आलिप्त किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि काल रिकार्डिंग में यह स्पष्ट रूप से आ जाने के पश्चात कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत को उक्त निर्णय की जानकारी थी व वह स्वयं शासन को विधिक अभिमत को जानने के लिए व्यक्तिगत रूचि ले रहे थे जिसका स्पष्ट प्रमाण वाट्सअप चैटिंग से भी है श्री विजेन्द्र सिंह रावत को दिनांक 15.10.2020 को भी निर्णय की जानकारी थी और उनके द्वारा जानबूझकर प्रथम सूचना रिपोर्ट असत्य आधारों पर केवल स्वयं को बचाने के लिए लेख करवाई गई है जबकि इस पूरे मामले में आवेदक/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा लेख करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 06.10.2020 को न्यायालय के बाहर बेईमानी और कपटपूर्वक तरीके से तैयार किये गये असत्य, कूट रचित मिथ्या, बनावटी कथित निर्णय जिस पर मिथ्या रूप से हस्ताक्षरित एवं मुदांकित पद नाम सही अंकित किये गये है तथा उक्त संपूर्ण घटनाकम में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा प्रथम दृष्टया भा.दं.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 472 व 120–बी का अपराध घटित किया गया है जबकि वास्तविकता में जिस निर्णय को श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा पारित कर प्रमाणित प्रति आवेदक/अभियुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जहां तक निर्णय की प्रमाणित प्रति पर हस्ताक्षरों की कूट रचना का प्रश्न है तो श्री विजेन्द्र सिंह रावत के हस्ताक्षर की कूट रचना करने का प्रयास भी उक्त हस्ताक्षरों को देखकर किया जाना प्रतीत नहीं होता है (आकस्मिक अवकाश के आवेदन पर उल्लेखित हस्ताक्षरों से मिलाने पर) तथा अकरम शेख व श्री विजेन्द्र सिंह रावत के वार्तालाप, वाट्सअप मैसेजेस से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत निर्णय की प्रमाणित

(विकास शर्मा)
सीनियर अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति अनुसार निर्णय पारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त को न्यायिक प्रकिया की बारीकियों का तकनीकी कार्यों की जानकारी नहीं है उसे निर्णय की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति व लोक अभियोजक द्वारा दिये गये अभिमत से उक्त निर्णय को सत्य व सही मानने में कोई शंका नहीं थी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी अकरम शेख की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं डी.पी.ओ. के अभिमत पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से ही प्राप्त होने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरांत ही निर्णय लिया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि अभियोगी को अब आवेदक/अभियुक्त की आवश्यकता नहीं है वह दिनांक 10.07.2021 से अभिरक्षा में है तथा श्री विजेन्द्र सिंह रावत व लोक अभियोजक श्री अकरम शेख की बातों व वाट्सअप से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त का कोई संबंध किसी भी प्रकार की धोखाधडी कूट रचना से नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा धारा 420 भा.दं.स. का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि अभियुक्त के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कूट रचना नहीं की गई है ना ही कोई प्रवंचना की गई है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा धारा 467 भा.दं.सं. का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कूटरचना नहीं की गई है और ना ही कोई ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा धारा 468 भा.दं.सं. का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा धारा 471 भा.दं.सं. का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक द्वारा धारा 472 भा.दं.सं. का कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कूटकृत सील आदि पट्टी या छाप लगाने के किसी उपकरण को उपयोग नहीं किया गया है और ना ही कोई कूटकृत, सील, छाप आदि आवेदक/अभियुक्त से जप्त हुई है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक द्वारा धारा 120-बी भा.दं.सं. का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक षडयंत्र नहीं किया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त संभ्रात परिवार का सदस्य होकर उसके द्वारा उपरोक्तानुसार कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे शंका के आधार पर द्वेषवश झूठा फंसाया गया है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त के

(विकास शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर

विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध के अतिरक्ति एक अन्य अपराध दर्ज है इसके अतिरक्ति आवेदक का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त की माता विधवा व वृद्ध होकर वृद्धावस्था की बीमारियों से ग्रस्त है व उसकी पत्नी व दो छोटे–छोटे बच्चे है जो महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे जो पूर्ण रूप से आवेदक/अभियुक्त पर ही निर्भर है एवं यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उक्त सभी लोगों का जीवन यापन संकटापन्न हो जाएगा और शिक्षा से वंचित होकर उनके भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में षडयंत्र में शामिल होना अपने प्रतिवेदन में बताया है किंतु दिनांक 10.07.2021 से आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी को लगभग एक माह 21 दिन हो गये है उसके बाद भी मुख्य अभियुक्त कौन है ये अभी तक विवेचना में नहीं आया है और षडयंत्र के लिए सर्व प्रथम मुख्य अभियुक्त का होना आवश्यक है और बिना मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तारी की धारा 120–बी भा.दं.सं. आकर्षित नहीं होती है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त शहर इन्दौर म.प्र. का निवासी होकर उसकी समस्त चल–अचल संपत्ति एवं परिवारी यहीं पर विद्यमान होने से उसके कहीं भाग जाने अथवा साक्ष्य आदि प्रभावित किये जाने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेश के परिपालन में योग्य जमानत प्रस्तुत करने एवं न्यायालय द्वारा उन समस्त शर्तो का पालन करने को तत्पर है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अभियोजन व आपत्तिकर्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी एक अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध होकर न्यायालय की गरिमा को भंग करने वाला अपराध है। अभियोजन व आपत्तिकर्ता ने यह भी तर्क किया कि अभियुक्त प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहा है जो अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है जिसे जमानत का लाभ दिये जाने पर साक्षी व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ व प्रभावित किये जाने की प्रबल संभावना है। आपत्तिकर्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि प्रकरण पंजीबद्ध हो जाने के उपरांत से अभियुक्त द्वारा आपत्तिकर्ता पर राजीनामे हेतु दबाव बनाया जा रहा है। अभियोजन व आपत्तिकर्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में तर्क करते हुए अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया। आपत्तिकर्ता ने दिनांक 02.09.2021 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की जाना बताया, जिसका अवलोकन किया गया।

इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों व आपत्तिकर्ता के तर्कों पर गंभीरता से विचार करते हुये अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों, केस डायरी, जमानत प्रतिवेदन तथा आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत

(विकास शर्मा)
षोडशम अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

लिखित आपत्ति का गंभीरता से अवलोकन किया।

केस डायरी के अनुसार दिनांक 27.06.2021 को **थाना महात्मा गांधी रोड इन्दौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 155/2021 भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 472 व 120–बी** के अंतर्गत सहायक उपनिरीक्षक रमेश चंद्र द्वारा इस आशय की पंजीबद्ध कराई गई कि वह थाना एम.जी. रोड पर सउनि के पद पर पदस्थ है तथा दिनांक 27.06.2021 को थाने के आवक कमांक 80 दिनांक 26.06.2021 से कोर्ट का पत्र जावक कमांक 223/दिनांक 26.06.2021 जिला न्यायालय इन्दौर से श्री विजेन्द्र सिंह रावत विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई./व्यापम इन्दौर के आवेदन पत्र मय दस्तावेज पेज नं. 1 से 48 तक के प्राप्त हुआ तथा आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि जिला न्यायालय में लंबित फौजदारी प्रकरण कमांक 1621/2019 फाईलिंग कमांक–17939/2019 आ.के. लसुड़िया, इन्दौर वि0 संतोष वर्मा थाना के अपराध कमांक 851/2016 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, भा.दं.वि. में **दिनांक 06.10.2020 को न्यायालय के बाहर बेईमानी और कपट पूर्वक तरीके से तैयार किये गये असत्य, कूटरचित, मिथ्या, बनावटी कथित निर्णय जिस पर मिथ्यारूप से हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पदनाम सील अंकित किए गए, पाया गया** जो अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 120बी, 420, 467, 468, 471, 472 भा.दं.वि. का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

केस डायरी के अनुसार न्यायालय श्री विजेन्द्र सिंह रावत, विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई./व्यापम, इन्दौर म.प्र. द्वारा प्रेषित आवेदन जावक कमांक 223 इंदौर 26.06.2021 के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा लेख किया गया कि वे विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई./व्यापम, इन्दौर के पद पर पदस्थ है तथा उनके न्यायालय में फौजदारी प्रकरण कमांक 1621/2019 आर.के. लसुड़िया इन्दौर वि0 संतोष वर्मा अन्तर्गत धारा 323, 294, 506 भा.द.वि. का प्रकरण अभियोजन साक्ष्य प्रकम पर लंबित है तथा उक्त प्रकरण दिनांक 03.10.2020 को माननीय अमन सिंह भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिक आपराधिक प्रकरण कमांक 791/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुपालन में श्री अरविन्द गुर्जर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्दौर के न्यायालय से अंतरण पर निराकरण हेतु उनके न्यायालय को प्राप्त हुआ है एवं उक्त प्रकरण श्री अरविन्द गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय से प्राप्त होने के उपरांत उक्त समय में पदस्थ फौजदारी रीडर श्री महेश सिंह भाटी द्वारा दिनांक 03.10.2020 की बोर्ड डायरी में चढ़ाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दौर ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य हेतु दिनांक 23.11.2020 की नियत की गई थी, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर कोविड–19, के संक्रमण के प्रकोप के

(विजेन्द्र शर्मा)
चौदहवे अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर

दौरान पारित विविध आदेशों के अनुपालन में नियत की जा रही थी एवं उक्त प्रकरण में दिनांक 23.11.2020 को आगामी दिनांक 22.02.2021 साक्ष्य हेतु नियत की गई थी तथा दिनांक 22.02.2021 से आगामी पेशी दिनांक 31.05.2021 एवं 31.05.2021 से आगामी पेशी दिनांक 07.09.2021 साक्ष्य हेतु नियत की गई तथा उक्त प्रकरण के लंबित रहते फरियादी हर्षिता के द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपी आवेदनों के आधार पर दिनांक 09.10.2020 एवं 02.02.2021 को न्यायालय के जावक रजिस्टर के माध्यम से फाईल प्रतिलिपि अनुभाग को पूर्व में भी प्रेषित की गई है तथा उनके न्यायालय में फौजदारी प्रकरण क्रमांक 1621/2019 वर्तमान में अभियोजन साक्ष्य प्रक्रम पर दिनांक 07.09.2021 को नियत है। केस डायरी के अनुसार उक्त प्रकरण श्री विजेन्द्र सिंह रावत के न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्णय दिनांक 06.10.2020 को पारित नहीं किया गया एवं न्यायालय में संधारित बोर्ड डायरी व सी.आई.एस. में निर्णय पारित होने बाबद कोई उल्लेख नहीं है बल्कि प्रकरण साक्ष्य हेतु लंबित है।

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि इसके संबंध में न्यायालय में पदस्थ सी.आई.एस. लिपिक नीतू सिंह चौहान द्वारा श्री विजेन्द्र सिंह रावत को लिखित में जानकारी प्रदान की है कि उनके द्वारा उक्त दिनांक को न तो हस्तगत प्रकरण में कोई निर्णय सी.आई.एस. में अपलोड किया गया है और न ही किसी प्रकार का डिस्पोजल किया गया है एवं न्यायालय में पदस्थ फौजदारी रीडर श्री महेश भाटी द्वारा भी माह अक्टूम्बर 2020 में निराकृत प्रकरणों के अभिलेखागार भेजने बाबद सूची में भी उक्त प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही प्राप्ति अभिस्वीकृति उनके प्रकरण के जमा होने का उल्लेख है।

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उनकी पत्नी सुरुचि रावत, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के पद पर इन्दौर न्यायालय में पदस्थ थी जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ईलाजरत थी तथा इस कारण से उनके द्वारा दिनांक 06.10.2020 को एक दिवसीय आकस्मिक अवकाश लिया गया था एवं उक्त दिनांक को उनके द्वारा अपनी पत्नि की एस.आर.एल. डायग्नोस्टिक लैब में सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. जांच करवाई गई थी तथा जिला न्यायालय इन्दौर में पदस्थ जिला अभियोजन अधिकारी श्री अकरम शेख के द्वारा उनके न्यायालय में आकर मौखिक रूप से यह बतलाया था कि उक्त प्रकरण में इस न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने के उपरांत राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित हुआ है, जिसकी उनके पास स्कैन कापी है तथा उक्त स्कैन कापी में भी निर्णय दिनांक 06.10.2020 उल्लेखित है एवं उक्त निर्णय की स्कैन प्रति के अवलोकन से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उक्त राजीनामा निर्णय भी दिनांक 06.10.2020 को होना बतलाया जा रहा है जबकि उक्त प्रकरण में उभयपक्ष के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर न तो कभी राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया है और न ही राजीनामा के संबंध में कोई बयान हुए हैं एवं न ही न्यायालय की आदेश पत्रिका

(विकास शर्मा)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

में उभयपक्ष के राजीनामा होने के तथ्य का उल्लेख है और न ही श्री विजेन्द्र सिंह रावत द्वारा दिनांक 06.10.2020 को राजीनामा निर्णय पारित किया गया है।

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने शिकायत आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उक्त निर्णय की स्कैन प्रति में न तो न्यायालय के पदनाम एवं न ही गोल सील लगी है और न ही उस पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा उनके न्यायालय में इस प्रकरण में दिनांक 06.10.2020 को पारित कथित निर्णय के संबंध में प्रकरण की फरियादिया हर्षिता अग्रवाल द्वारा सत्य प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन, नकल अनुभाग में प्रस्तुत किया गया था एवं नकल अनुभाग से उनके न्यायालय में नकल आवेदन प्राप्त होने पर एवं राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व जोन–2 जिला इन्दौर के पत्र कमांक/अ.पु./इ/पूर्व/जोन–2//2021 दिनांक 22.06.2021 एवं उसके साथ संलग्न कथित निर्णय दिनांक 06.10.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपी की फोटो कापी के प्राप्त होने पर उक्त दोनों कथित निर्णय की प्रतियों के आधार पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि **उनके न्यायालय में लंबित प्रकरण कमांक 1621/2019 फाईलिंग दिनांक 06.10.2020 के दो भिन्न–भिन्न निर्णय न्यायालय के बाहर अनुचित रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दो निर्णय असत्य, मिथ्या, कूटरचित एवं फर्जी रूप से हस्ताक्षर कर मिथ्या निर्णय तैयार किए गए हैं।**

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उनके न्यायालय के लंबित प्रकरण कमांक 1621/2019 आ.के. लसुड़िया, इन्दौर वि0 संतोष वर्मा में **उनके समक्ष दिनांक 06.10.2020 के निर्णय की सत्य प्रतिलिपि की फोटो कापी एंव दूसरा राजीनामा निर्णय की स्कैन प्रति की कापी प्राप्त हुई है जबकि न्यायालय के द्वारा उक्त दोनों कथत निर्णय उक्त दिनांक समय को पारित नहीं किये हैं** तथा **उनके न्यायालय में वर्तमान में प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है।** केस डायरी के अनुसार **श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उनके न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय न तो दिनांक 06.10.2020 को पारित किया गया है, न ही उसके पश्चात, बल्कि उक्त प्रकरण वर्तमान में भी साक्ष्य प्रकम पर उनके ही न्यायालय में लंबित है।** केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उनके न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो अभियुक्त कथन लिये गये है, न ही अंतिम तर्क हुए है, न ही उक्त प्रकरण में दिनांक 06.10.2020 को कोई निर्णय पारित किया गया है बल्कि प्रकरण वर्तमान में अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है तथा उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा प्रकरण की फरियादिया हर्षिता व अन्य साक्षीगण लीलाबाई, शारदा यादव एवं रीना के न्यायालयीन कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं जबकि जो निर्णय की सत्य प्रतिलिपि की फोटो प्रति प्राप्त हुई है उसकी कंडिका कमांक 11 में हर्षिता अ.सा. 01, लीलाबाई अ.सा. 02, शारदा यादव अ.सा. 03, रीना अ.

(विकास शर्मा)
अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर

सा. 04 के कथन के संबंध में उल्लेख किया गया है जबकि दूसरे राजीनामा निर्णय की स्कैन प्रति में मात्र फरियादी हर्षिता के कथन होने का लेख किया गया है और शेष किसी भी साक्षी के कथन होने के संबंध में कोई तथ्य उक्त कथित निर्णय में उललेखित नहीं है एवं **उक्त दोनों मिथ्या कूट रचित निर्णय में जो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर बनाये गये है वह उनके हस्ताक्षर नहीं है।**

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उक्त दोनो निर्णय में बनाये गये उनके हस्ताक्षर भिन्न प्रकार के है तथा साथ ही दोनों निर्णयों में जो हस्ताक्षर हैं वह भी भिन्न भिन्न हैं एवं निर्णय के प्रथम पृष्ठ पर आर.सी.टी. नंबर 17939/20149 का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया गया है तथा सत्य प्रतिलिपी की छायाप्रति वाले निर्णय के शेष पृष्ठों पर मात्र 1621/2021 पैन से लिखा गया है एवं राजीनामा निर्णय की स्कैन प्रति में शेष पृष्ठ पर न तो प्रकरण कमांक उल्लेखित है और न ही पक्षकारों के नाम उल्लेख है। केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उक्त प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.11.2016 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त दिनांक को प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 493, 494, 495, 323, 294, 506 भा.द.वि. के तहत आरोपी संतोष वर्मा पिता रूमाल सिंह वर्मा के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई थी जबकि न्यायालयीन आदेश पत्रिका दिनांक 05.04.2019 एंव अभियोग पत्र से स्पष्ट होता है कि अभियोजन के द्वारा आरोपी संतोष वर्मा के विरूद्ध अभियोग पत्र मात्र धारा 323, 294, 506 भा.द.वि. में ही प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त सम्पूर्ण घटना कम एवं दो कूट रचित निर्णयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा अविलंब माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को मौखिक रूप से पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है।

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उनके न्यायालय में लंबित फौजदारी प्रकरण कमांक 1621/2019 फाईलिंग कमांक 17939/2019 आ.के. लसुड़िया, इन्दौर वि0 संतोष वर्मा थाना के अपराध कमांक 851/2016 अंतर्गत बेईमानी और कपट पूर्वक तरीके से तैयार किये गये असत्य, कूट रचित, मिथ्या, बनावटी, कथित निर्णय जिस पर मिथ्या रूप से हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पदनाम सील अंकित किए गए उक्त सम्पूर्ण घटनाकम में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा प्रथम दृष्टया भा.द.वि. की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471, 472 का अपराध घटित किया गया है जिसकी विधिवत जांच कर संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति अविलंब न्यायालय को प्रेषित करें।

जहां तक अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क का संबंध है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाने की दिनांक 10.07.2021

(विकास शर्मा)
अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

से आज तक अन्य कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सका है जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 120–बी का सहअपराध अंतर्गत धारा 467, 420, 468, 471 व 472 स्वतः ही अप्रमाणित है तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कराई गई है एवं प्रकरण विवेचनाधीन है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट Encylopedia नहीं है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त संतोष वर्मा ने **अज्ञात सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर बनाये गये आपराधिक षडयंत्र के अग्रसरण** में विचाराधीन आर.सी.टी. प्रकरण 1621/2019 में कथित रूप से दो भिन्न–भिन्न प्रकार के कूटरचित निर्णय तैयार कर कूटरचित निर्णयों को **भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर पदोन्नति** प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया है। यहां **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10** का उल्लेख किया जाना उचित होगा जो इस प्रकार है:–

"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अनुसार *"जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि* ***दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिये मिलकर षड्यंत्र किया है,*** *वहां उनके सामान्य आशय के बारे में* ***उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही, की, या लिखी कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरूद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है*** *जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।"*

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 कथित रूप से कारित किये गये आपराधिक षडयंत्र से संबंधित विधिक प्रावधान है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के आलोक में उपरोक्त समस्त कारणों से अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

केस डायरी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध श्री विजेन्द्र सिंह रावत, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में आर.सी.टी. प्रकरण कमांक 1621/2019 लंबित रहने के दौरान कथित रूप से दो भिन्न–भिन्न प्रकार के निर्णय कूटरचित करने के गंभीर आरोप हैं तथा प्रकरण विवेचनाधीन है। अभियुक्त पर भा.दं.सं. की विभिन्न धाराओं सहित भा.दं.सं. की धारा 467 के भी आरोप है जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त संतोष वर्मा पर अज्ञात सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर बनाये गये आपराधिक षडयंत्र के अग्रसरण में विचाराधीन आर.सी.टी. प्रकरण 1621/2019 में कथित रूप से दो भिन्न–भिन्न प्रकार के कूटरचित निर्णय तैयार करने एवं कथित रूप से कूटरचित निर्णयों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने हेतु प्रयोग करने के आरोप है जिस कारण अभियुक्त

(शिवलाल शर्मा)
सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

संतोष वर्मा पर भा.द.सं. की धारा 471 के भी आरोप है।

जमानत प्रतिवेदन के अनुसार न्यायालयीन कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध भी अग्रिम विवेचना हेतु माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर से अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया है एवं अनुमति प्राप्त होने पर प्रकरण की विवचेना की जाना शेष है। जमानत प्रतिवेदन के अनुसार अभियुक्त संतोष वर्मा को जब यह ज्ञात होना कि उक्त प्रकरण में फरियादिया एवं अन्य कोई साक्ष्य नहीं हुई है तो निर्णय कैसे हुआ, एक शिक्षित एवं राज पत्रित अधिकारी द्वारा फिर भी उक्त फर्जी निर्णय की सत्यापित नकल प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग में आई.ए.एस. अवार्ड प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जाना प्रतिवेदित किया गया है। जमानत प्रतिवेदन के अनुसार अभियुक्त संतोष वर्मा ने एक राज पत्रित अधिकारी होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर न्याय पालिका में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ षडयंत्र पूर्वक कूटरचित निर्णय प्राप्त कर न्यायालय की छवि धूमिल करना और देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था प्रणाली की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रतिवेदित किया गया है एवं अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने पर जन मानुस का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाना भी प्रतिवेदित किया गया है।

केस डायरी के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह रावत, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में आर.सी.टी. प्रकरण क्रमांक 1621/2019 विचाराधीन होना बताया गया है जबकि इसी विचाराधीन प्रकरण में कथित रूप से दो भिन्न–भिन्न प्रकार के कूटरचित निर्णय तैयार किये गये हैं। म.प्र. राज्य का प्रत्येक न्यायालय, म.प्र. राज्य की सर्वोच्च अदालत अर्थात् ''माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय'' के अधीनस्थ कार्यरत न्यायालय हैं एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की **''न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक प्रशासन''** को चुनौती देना सीधे–सीधे **''म.प्र. राज्य के न्यायालयों'' को चुनौती** देने के समान है तथा **''जिम्मेदार''** पद पर आसीन व्यक्तियों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालयों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए न्यायालयों की छवि धूमिल ना होने दें जिनमें वृहद जन–समूह की प्रगाढ़ आस्था है। क्या हस्तगत प्रकरण **''कानून का राज''** ध्वस्त किये जाने के असफल प्रयास का उदाहरण है? क्या ''न्यायिक प्रशासन'' को चुनौती देना **''न्यायिक द्रोह''** की श्रेणी में आना कहा जा सकता है?

अभियुक्त संतोष वर्मा पर धोखाधड़ी, विचाराधीन प्रकरण के निर्णय की कूटरचना करने एवं आपराधिक षडयंत्र आदि के गंभीर आरोप हैं। यह न्यायालय उपरोक्त समस्त कारणों से अभियुक्त संतोष वर्मा को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता है जिस कारण अभियुक्त संतोष द्वारा प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन उपरोक्त समस्त कारणों से **निरस्त** किया जाता है।

इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुण व दोषों पर नहीं होगा।

07/07/21

(विकास शर्मा)
षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

आदेश की प्रति सहित केस डायरी लौटायी जाये।

कार्यालयीन **ज्ञापन कमांक 191/कम्प्यू. इंदौर दिनांक 24.02.2021** के अनुपालन में जमानत आदेश अपलोड किया जाये।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर जमानत प्रपत्र नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

(विकास शर्मा)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)